2019/00134

निर्णय न्यायालय श्री मनोज कुमार वर्मा, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट मलारनाडूंगर जिला सवाई माधोपुर

| मुकदमा नम्बर | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 20/2019 | 21.6.2019 | 24/12/19 |

1. रामरतन नाथ पुत्र गणपत नाथ निवासी बिच्छीदोना तहसील मलारनाडूंगर
2. शंकर नाथ पुत्र गणपत नाथ निवासी बिच्छीदोना तहसील मलारनाडूंगर
3. रामोतार नाथ पुत्र गणपत नाथ निवासी बिच्छीदोना तहसील मलारनाडूंगर
4. पुखराज नाथ पुत्र गणपत नाथ निवासी बिच्छीदोना तहसील मलारनाडूंगर
5. शंभु नाथ पुत्र लड्डू नाथ निवासी बिच्छीदोना तहसील मलारनाडूंगर
6. सुरज्ञान पुत्र लड्डू नाथ निवासी बिच्छीदोना तहसील मलारनाडूंगर
7. नर्वदा देवी नाथ पत्नी लड्डू नाथ निवासी बिच्छीदोना तह0 मलारनाडूंगर
8. बनवारी योगी पुत्र स्व0 जगन नाथ निवासी बिच्छीदोना तह0 मलारनाडूंगर
9. मुकेश योगी पुत्र जगन नाथ निवासी बिच्छीदोना तहसील मलारनाडूंगर
10. रामनिवासी पत्नी जगन नाथ निवासी बिच्छीदोना तहसील मलारनाडूंगर
11. रामकरण योगी पुत्र केसरा योगी निवासी बिच्छीदोना तहसील मलारनाडूंगर
12. घनश्याम योगी पुत्र केसरा योगी निवासी बिच्छीदोना तहसील मलारनाडूंगर
13. प्रहलाद योगी पुत्र मोती नाथ निवासी बिच्छीदोना तहसील मलारनाडूंगर
14. प्रेमराज योगी पुत्र रामजीलाल योगी निवासी बिच्छीदोना तह. मलारनाडूंगर
15. रमेश योगी पुत्र रामजीलाल योगी निवासी बिच्छीदोना तह0 मलारनाडूंगर
16. रामबाबू योगी पुत्र कैलाश योगी निवासी बिच्छीदोना तह0 मलारनाडूंगर
17. शिवचरण योगी पुत्र विजयलाल योगी नि0 बिच्छीदोना तह0 मलारनाडूंगर
18. सोपाल योगी पुत्र गोरखनाथ निवासी बिच्छीदोना तहसील मलारनाडूंगर
19. बत्तीलाल नाथ पुत्र सूरजमल नाथ निवासी बिच्छीदोना तह0 मलारनाडूंगर
20. मोहनलाल योगी पुत्र सूरजमल नाथ निवासी बिच्छीदोना तह0 मलारनाडूंगर
21. घनश्याम नाथ पुत्र स्व0 गरीबा नाथ निवासी बिच्छीदोना तह. मलारनाडूंगर
22. देवीलाल नाथ पुत्र स्व0 गरीबा नाथ निवासी बिच्छीदोना तह. मलारनाडूंगर
23. सोभाग नाथ पुत्र स्व0 गरीबा नाथ निवासी बिच्छीदोना तह0 मलारनाडूंगर
24. धीरज नाथ पुत्र स्व0 गरीबा नाथ निवासी बिच्छीदोना तह0 मलारनाडूंगर

——प्रार्थीगण

बनाम

1. रामचरण पुत्र सूरजमल, नाथ निवासी बिच्छीदोना तहसील मलारनाडूंगर
2. हेमराज पुत्र सूरजमल, नाथ निवासी बिच्छीदोना तहसील मलारनाडूंगर
3. बैंक आफ बडौदा शाखा मलारनाडूंगर
4. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मलारनास्टेशन

मनोज कुमार वर्मा
उप जिला कलेक्टर
मलारनाडूंगर

Scanned by CamScanner

5. उप पंजीयक मलारनाडूंगर

6. तहसीलदार मलारनाडूंगर —अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री संजय शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
श्री शंभुलाल मीना, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 1, 2 की ओर से

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थी नं0 1, 2 की खातेदारी तथा अप्रार्थीगण 1 लगायत 24 की कब्जे काश्त की आराजी जमाबंदी सं0 2073 से 2076 के खाता संख्या 323 में ख0नं0 1190/1309 रकबा 0.68 है0, ख0नं0 1217 रकबा 1.85 है0 कुल रकबा 2.53 है0 ग्राम बिच्छीदोना में स्थित है जिसके पुराने खसरा नंबर 933/2 थे जिसका कुल रकबा 10 बीघा है जिसके मिलान क्षेत्रफल में उक्त नये नम्बर बनाए गए हैं। सम्पूर्ण कुटुम्ब जब शामिल में रहता था तो सबसे बडा होने के कारण सभी ने भागदौड करके सूरजमल पुत्र गोपी के नाम उपरोक्त भूमि आवंटित करवा दी गई । उक्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की शामलाती आराजी होने व सबकी सहमति होने से उक्त आराजी के आवंटन से लेकर आज तक कब्जा काश्त का लाभ शामिल में बिना किसी अवरोध के प्राप्त करते आ रहे हैं तथा सहखातेदार अधिक होने से मौके पर उसका बंटवारा न करके फसल का बंटवारा निर्बाध रूप से करते आ रहे हैं। उक्त आराजी के खातेदार सूरजमल पुत्र गोपी नाथ की मृत्यु होने पर उनकी विरासत अप्रार्थी नं0 1 व 2 के नाम खुल गई थी। सूरजमल की मृत्यु आज से करीब 20 वर्ष पूर्व हो चुकी है तथा विरासत भी अप्रार्थीगण के नाम उसी समय खुल गई थी परन्तु अप्रार्थीगण ने आज तक प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं की है तथा सूरजमल जी अपने जीवनकाल में ही दिनांक 23.7.1992 को पांच आदमियों के समक्ष उक्त आराजी का बंटवारा पंचनामा तहरीर कर गांव के अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर कर तहरीर कर दिया था जिसमें उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की शामलाती आराजी साबित है। अप्रार्थीगण के पिता सूरजमल की मृत्यु होने के बाद उनकी विरासत अप्रार्थी नं0 1 व 2 के नाम खुलकर उनके नाम खातेदारी होने से अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की सहमति लेकर बराबर का पैसा खर्च करके अप्रार्थी सं0 3 व 4 से के0सी0सी0 प्राप्त की तथा के0सी0सी0 का पैसा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने हिस्से अनुसार बांट लिया था। अप्रार्थी सं0 1 ने

(मनोज कुमार वर्मा)
उप जिला कलक्टर
मलारना डूंगर

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण से सहमति लेकर अपने हिस्से अनुसार प्राप्त के0सी0सी0 के रूपयों की उगाई प्रार्थीगण से करके सन् 2018 में बीआरजीबी शाखा मलारनास्टेशन में जमा कर दिनांक 5.6.18 को नामान्तरकरण सं0 254 से रहनमुक्त करवा ली तथा रहनमुक्त करवाते समय अप्रार्थी सं0 1 ने कहा था कि इस के0 सी0सी0 को जमा कर दुबारा रूपए बढवाकर के0सी0सी0 लेंगे। प्रार्थीगण दिनांक 5.6.2018 के बाद से आज तक अप्रार्थी सं0 1 से के0सी0सी0 लेने के लिए बार बार कहते आ रहे हैं परन्तु अप्रार्थी सं0 1 के मन में बदयान्ति आ जाने के कारण उसने कहा कि मैं आपको अब के0सी0सी0 का पैसा नहीं दूंगा, उक्त आराजी की खातेदारी मेरे नाम है मैं इसे किसी दीगर व्यक्ति को बेचूंगा, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड सकते हैं। अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि बेचने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि यह भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की शामलाती भूमि है तथा इस पर सभी का बराबर बराबर का हक व अधिकार है। आवंटन के समय से ही यह भूमि पैत्रक होना बखूबी साबित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा इस कदर पाबंद फरमाया जावे कि वे जमाबंदी सं0 2073 से 2076 के खाता सं0 323 में दर्ज ख0नं0 1190/1309 रकबा 0.68 है0, ख0नं0 1217 रकबा 1.85 है0 कुल रकबा 2.53 है0 ग्राम बिच्छीदोना के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करे न किसी दीगर से करावे तथा किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बेचान नहीं करे व मौके की व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 3 लगायत 6 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः अप्रार्थी सं0 3 लगायत 6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 1, 2 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि प्रार्थीगण थोकबन्द व चालाक तथा आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति हैं जो किसी की भी खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण करने के आदी हैं। भूमि साबिक खसरा नं0 933/19 रकबा 10 बीघा अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पिता सूरजमल पुत्र गोपी जाति नाथ निवासी बिच्छीदोना की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि रही है जिस पर अप्रार्थीगण अपने पिता के समय से ही काबिज काश्त चले आ रहे हैं। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार इसके नवीन ख0नं0 1190/1309 रकबा 0.68 है0 एवं ख0नं0 1217 रकबा 1.85 है0 बने हैं। अप्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण अप्रार्थी नं0 1 व 2 के नाम खुला ।

मनोज कुमार वर्मा
उप जिला कलेक्टर
मलारना

Scanned by CamScanner

अप्रार्थीगण के पिता द्वारा प्रार्थीगण को किसी तरह का बंटवारे का कोई दस्तावेज तहरीर नहीं किया गया। प्रार्थीगण ने कूटरचित दस्तावेज तैयार किया है। भूमि अप्रार्थीगण की पैत्रक आराजी है व स्व0 सूरजमल की स्वअर्जित आराजी है। प्रार्थीगण का इस भूमि से कोई वास्ता नहीं है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि पर कब्जा करते हैं तो अतिक्रमी की श्रेणी में आते हैं। अतिक्रमी को किसी भी तरह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में प्रार्थीगण ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 323, फोटोकोपी नकल मिलान क्षेत्रफल , फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2047 से 2050, फोटोकोपी लिखावट दिनांक 23.7.92 प्रस्तुत की है।

जबाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के समर्थन में अप्रार्थीगण ने फोटोकोपी नकल साबिक जमाबंदी, फोटोकोपी नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटोकोपी नकल हाल जमाबंदी सं0 2073 से 2076, फोटोकोपी नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी नं0 1 व 2 के पिता स्व0 सूरजमल को संयुक्त परिवार में सबसे बडा होने के कारण परिवार के सभी लोगों ने भागदौड करके आवंटित करवाई थी एवं आवंटन के समय से ही प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर शामिल में कब्जा काश्त चला आ रहा है। स्व0 सूरजमल के बाद यह भूमि अप्रार्थी नं0 1 व 2 के नाम विरासत में दर्ज हो गई है परन्तु कब्जा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का शामिल में ही चला आ रहा है। अब अप्रार्थीगण इस भूमि को किसी अन्य को बेचान करना चाहते हैं जिसके लिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान वकील ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी नं0 1 व 2 के पिता को आवंटित भूमि है जिस पर अप्रार्थीगण का अपने पिता के समय से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी नं0 1 व 2 के पिता की मृत्यु के बाद विरासत में यह भूमि अप्रार्थी नं0 1 व 2 के नाम चली आ रही है । प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की भूमि

(मनोज कुमार शर्मा)
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूंगर

Scanned by CamScanner

पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2047 से 2050 के अनुसार साबिक ख0नं0 933/2 रकबा 10 बीघा ग्राम बिच्छीदोना सूरजमल पुत्र गोपी नाथ की खातेदारी में दर्ज है। फोटोकोपी नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार भू–प्रबन्ध में इसके खसरा नम्बर 1190/1309 रकबा 0.68 है0 एवं ख0नं0 1217 रकबा 1.85 है0 बनाए गए हैं जो फोटोकोपी नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 के अनुसार अप्रार्थी नं0 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण स्वयं भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं। प्रार्थीगण का कथन है कि भूमि आवंटन के समय से ही उनका वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त रहा है परन्तु इसके प्रमाण स्वरूप उन्होने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अप्रार्थी नं0 1 व 2 के पिता स्व0 सूरजमल नाथ ने दिनांक 23.7.92 को एक लिखावट प्रार्थीगण के पक्ष में लिख दी थी। अप्रार्थीगण इस लिखावट को कूटरचित दस्तावेज बताते हैं। प्रार्थीगण ने लिखावट दिनांक 23.7.92 की छायाप्रति पत्रावली पर प्रस्तुत की है। इसके अवलोकन से स्पष्ट है कि इस लिखावट का कोई कानूनी महत्व नहीं है क्योंकि ना तो यह स्टाम्पित है और ना ही इसमें भूमि का विवरण दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थीगण के पक्ष में कोई दस्तावेज नहीं है जबकि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के रेकार्डेड खातेदार हैं। बिना किसी दस्तावेज के एक रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। फलस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 24/12/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/12/19

( मनोज कुमार वर्मा )
उप जिला कलेक्टर
मलारनाडूंगर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Verma
Date: 2020.06.17 14:41:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: